

| क्र0 | विभाग का नाम | जन-सूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दपत्र पारित किया गया | दपत्र पारित करने का दिनांक | दपत्र से निरति धनराशि | पारित दपत्र के विरुद्ध विभाग द्वारा बर्त की गयी धनराशि की अद्यतन स्थिति | विभाग द्वारा जन-सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो) | पारित दपत्र के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही | अभ्युक्ति | |
|------|--|--|----------------------------|-----------------------|---|--|---|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 01 | राज्य कर विभाग, मुारादाबाद जोन, मुारादाबाद | श्री रमा शंकर, उपायुक्त राज्य कर | 11-07-2018 | ₹0 5,000/- | शून्य | शून्य | श्री धर्मवीर सिंह द्वारा योगी गयी बनसूचना के सम्बन्ध में माननीय राज्य सूचना आयोग सचनरु ने आदेश दिनांक - 11.07.2018 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बाणिज्य क. मुारादाबाद पर बादी की सूचना उपलब्ध न करने के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति ₹0- 5000.00 का बर्तदण्ड दिनांक 11-07-2018 को डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बाणिज्य क. मुारादाबाद पर लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के बतन से उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि रुपये 5000-00 की कटौती हेतु डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बाणिज्य क. मुारादाबाद के डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बाणिज्य क. मुारादाबाद के पत्र संख्या- 2905 दिनांक 13-03-2020 द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि के जमा के साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। सूचना प्राप्त न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बाणिज्य क. मुारादाबाद के पत्र संख्या- 1931 दिनांक 01-02-2021 द्वारा डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बाणिज्य क. मुारादाबाद को अनुरोध भेजित कर दिया गया है, जिसके क्रम में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बाणिज्य क. मुारादाबाद को अपने पत्र संख्या- 305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। अर्पदपत्र जमा न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) बाणिज्य क. मुारादाबाद के पत्र सं0 458 दिनांक 28-08-2021 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर को अर्पदपत्र जमा करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बाणिज्य क. | | शून्य |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|----------------------------------|----------|--|-------------|--|--|-------|
| 03 | राज्य कर | श्री दिव्यामूर्ति, कार्यालय राज्य कर अधिकारी खण्ड-1, बिजनौर | 16.07.2018 | 25000.00 | अधिरोपित अर्थदण्ड कारये जाने हेतु संबंधित खण्ड के डि0कमि0 को इस स्तर से पत्र स0-769 दि0 28.02.2020, पुनः प0स0- 816 दि0 18-03-2020 प्रेषित किये गये है। | जमा हेतु | शून्य | अधिरोपित अर्थदण्ड के संबंध में मा0 जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या-220 दिनांक 24.02.2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25.02.2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। अर्थदण्ड समाप्त हेतु इस स्तर से मा0 सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन पत्र संख्या-589 दिनांक 25.02.2021 से किया गया है। पुनः असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1, बिजनौर के पत्र स0- 147 दिनांक 25.06.2021 द्वारा प्रत्यावेदन अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है। | शून्य |
| 04 | राज्य कर | श्री राजेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर(क0व0)/ अधिकारी, वा0क0 गाजियाबाद | 15.11.2017 | 25000.00 | 00 | कोई नहीं | पुनर्वाचिका प्रा0पत्र मा0 अ0प्र0राज्य सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 01.11.2018 में दखिल किया गया है। आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है। | मा0 अ0प्र0 राज्य सूचना आयोग के पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है। | |
| 05 | राज्य कर | श्री जे0पी0सिंह, से0नि0 डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) / तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वा0क0 गाजियाबाद | 27.01.2016 | 25000.00 | 00 | कोई नहीं | मा0 अ0प्र0 राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/ आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है। | मा0 अ0प्र0 राज्य सूचना आयोग के पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/ आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है। | |
| 06 | राज्य कर | श्री इन्द्रजीत भदौरिया, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0)/जनसूचना अधिकारी, वा0क0 मेरठ | 02.01.2018 | 25000.00 | 00 | 00 | कार्यवाही चल रही है। | कार्यवाही चल रही है। | |
| 07 | राज्य कर | श्री यू0सी0शर्मा, वर्तमान में ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, मुरादाबाद | 23.10.2018 (अ0प्र0 सूचना आयोग का | 25000.00 | शून्य | नही | दण्ड में निहित धनराशि जमा करारये जाने हेतु आहरण वितरण अधिकारी, मुरादाबाद को पत्र संख्या- 4407 दिनांक 01.01.2019 व अनुस्मारक पत्र | दण्ड प्राप्त अधिकारी द्वारा दिनांक 01.02.2019 में अपील दायर की गयी है। | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|---|--|----------|----|----|---|---|
| | | | पत्रांक- 10979 दि० 11.12.2018 से प्राप्त) | | | | संख्या-6135 दिनांक 06.03.19 व पत्र संख्या- 125 दिनांक 24.04.19 व पत्र संख्या- 702 दिनांक 25.06.19, पत्रसं०- 2868 दि० 29.11.2019 प्रेषित किये गये है। | |
| 08 | राज्य कर | श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी(डि०कमि०) (प्रशा०) वा०क्र० झांसी | 22.11.2012 | 25000.00 | 00 | 00 | श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बादा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यावेदनपर मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त , अ०प्र० लखनऊ द्वारा भी सुनवाई की कोई तिथि नियत नहीं की गई है। | श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बादा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि शिकायत अपील सं०-1/2482/सी०/2011 के मामले में अदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध मेरे द्वारा मा० राज्य सूचना आयुक्त अ०प्र० लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक-104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो वर्तमान में लब्धित है। |

(कमलेश कुमारी)

उपायुक्त (जनसूचना)/सहायक जनसूचना अधिकारी

राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।